जिलाधिकारी शिविर कार्यालय कानपुर नगर

संख्या 3685/ओ.एस.डी./डी.एम.–कानपुर–कोविड–19/2020 दिनांक 04 मई, 2020

आदेश

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–डीएम–1(ए), दिनांक 01 मई–2020 के माध्यम से कोविड–19 महामारी के रोकथाम के संबंध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक 04.05.2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रहने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन निर्देशों के कम में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 382/2020सी.एक्स.–3, गृह गोपन अनुभाग–3 दिनांक 03.05.2020 के द्वारा रेड, ग्रीन व आरेंज घोषित जिलों में कतिपय गतिविधियों व उद्योगों को अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये हैं। तत्कम में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या–3684/ओएसडी–डीएम–कानपुर–कोविड–19/2020 दिनांक 03–05–2020 के द्वारा जारी आदेश के बिन्दु–7 के अनुकम में जनपद कानपुर नगर जो रेड जोन में है, में हॉट स्पॉट/कंटेनमेंट जोन के बाहर निम्नानुसार गतिविधियों/उद्योगों को उल्लिखित शर्तों के साथ संचालित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. अनुमति प्राप्त व्यक्तिगत/वाहनों का इस शर्त के साथ परिचालन की चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो यात्री व दो पहिया वाहनों में केवल एक व्यक्ति।
2. निर्यातपरक इकाइयों, औद्योगिक क्षेत्रों (पनकी साइट–1,2,3,4,5) दादा नगर, फजलगंज, चकेरी व रूमा स्थित समस्त इकाइयों/औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर रेड जोन/हाटस्पाट क्षेत्र से बाहर की भी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई यथा, दवा–औषधि, चिकित्सकीय उपकरण, आई0टी0 हार्डवेयर व पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधि इकाइयों व इनके कच्चेमाल व सप्लाई चेन से संबंधित समस्त इकाइयों, कृषि एवं कृषि कार्य से संबंधित समस्त इकाइयां/प्रतिष्ठान।
3. रेड जोन/हाट–स्पाट क्षेत्र के बाहर राज्य सरकार व भारत सरकार की समस्त राष्ट्रीय महत्व की निर्माण परियोजनाऐं।
4. समस्त प्रकार के माल/वस्तुओं के लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन जिनमें खाली ट्रक भी सम्मिलित हैं के अन्तर्राज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।
5. एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कालोनी के अन्दर की दुकानें और आवासीय परिसर की दुकानों के प्रातः 10..00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी ।
6. शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर समस्त मॉल, मार्केट काम्प्लेक्स एवं मार्केट बन्द रहेंगें। यद्यपि आवश्यक वस्तुओं की बिकी से संबंधित दुकानों को मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स में खुलने की अनुमति प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगी।
7. किराना, गल्ला आदि की थोक बिकी की सेवाएं सुबह 7.00 बजे से 12.00 बजे मध्यान्ह तक खुलेंगी।
8. गाड़ी वाहन मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर आदि की सेवाएं एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर इत्यादि की सेवाएं, स्कूल की पुस्तकें, स्टेशनरी की दुकानें, इलेक्ट्रिकल

9. भवन निर्माण से संबंधित वेयरहाउस, एकल दुकानें, मौरंग बालू की मण्डी प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे खुली रहेंगी।

10. ई–कामर्स सेवाओं की केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति होगी।

11. ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त औद्योगिक/निर्माण गतिविधियां।

12. शहरी क्षेत्र में रेड जोन/हॉट–स्पाट के बाहर की in situ निर्माण गतिविधियां जहाँ श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हो और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पडे।

<u>उपरोक्त सभी गतिविधियां निम्नानुसार अंकित शर्तों के अधीन अनुमन्य की जाती हैः–</u>

1. औद्योगिक इकाई/परिसर के सभी क्षेत्रों यथा भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार कैफेटेरिया/कैंटीन, सभाकक्ष, सम्मेलन हाल/खुला क्षेत्र/बराम्दा/प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टर केबिन, भवन समस्त उपकरण और वॉशरूम, टायलेट, सिंक वाटर, प्वाइंट समस्त दीवारें आदि का हानि रहित कीटांणु नाशक से पूर्ण रूप से सेनिटाइज कराया जायेगा।

2. ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ 50 से अधिक श्रमिक हों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के स्थान पर 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ विशेष परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।

3. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों/मशीनरी को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।

4. कार्यस्थल पर प्रवेश और बाहर निकलने पर थर्मल स्कीनिंग अनिवार्य होगी।

5. कर्मियों/श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाएगा।

6. स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ हाथ धोने और सैनिटाइज करने की पर्याप्त व्यवस्था सभी प्रवेश और निकासी बिन्दुओं पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी कार्मिकों को अनिवार्य रूप से मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।

7. कार्य स्थलों पर 02 पारियों के बीच एक घण्टे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों द्वारा दोपहर के भोजन को पृथक एवं निलंबित रूप से किया जाएगा।

8. दस या अधिक प्रतिभागियों की बडी सभाओं या बैठकों को हतोत्साहित किया जाएगा। कार्यस्थलों, सभाओं, बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों में व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी पर बैठैंगे। इस हेतु संरचनात्मक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

9. दो या चार से अधिक व्यक्तियों को (लिफ़्ट के आकार के आधार पर) लिफ़्ट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

10. गुटखा तम्बाकू पर प्रतिबंध, थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

11. कार्यस्थल पर आस–पास के क्षेत्रों में कोविड–19 के उपचार के लिए अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर समय उपलब्ध होनी चाहिए।

12. किसी भी व्यक्ति को कार्य स्थल पर जाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करना अनिवार्य होगा।

13. 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रेण्डम आधार पर कम से कम 5 कर्मियों का आर.टी.–पी.सी. आर. विधि से परीक्षण कराना होगा। उसके बाद प्रत्येक 15 दिनों पर 5 अथवा अधिकतम 10 कार्मिकों का रेण्डम आधार पर परीक्षण किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियों/औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात प्रोटोकाल का कडाई से पालन

Scanned by CamScanner

किया जा रहा है एवं किसी प्रकार का संक्रमण वहाँ नहीं हो रहा है। टेस्टिंग रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

14. उपरोक्तानुसार संचालित की जाने वाली गतिविधियों में सोशल डिस्टेसिंग एवं सैनिटाइजेशन का पूर्ण रूप से पालन करने की बाध्यता इकाई/प्रतिष्ठान स्वामी की होगी। संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों द्वारा रेण्डम आधार पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त शर्तों का सम्यक अनुपालन हो रहा है।

15. लॉक–डाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा–51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा–188 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(ड0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह एवं गोपन, उ0प्र0 शासन सूचनार्थ।
2–आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
3–पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेंज, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
4–डीआईजी/एसएसपी, कानपुर नगर।
5–नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर ।
6–मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
7–समस्त अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
8–मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुरनगर।
9–नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, मोतीझील, कानपुर।
10–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कानपुर नगर।
11–उपश्रमायुक्त, कानपुर नगर।
12–नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट।
13–उप निदेशक,सूचना कानपुर नगर को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
14–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कानपुर नगर।
13–सचिव मण्डी परिषद, कानपुर नगर।

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर